

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 706 सन 2019

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद सैनी पुत्र फकीराराम जाति माली साकिन चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फकीराराम पुत्र चुनीराम जाति माली निवासी चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरलाल 3 महेन्द्र 4 बिरजलाल 5 हरिराम 6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण फकीराराम जाति माली निवासी चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 लक्ष्मीदेवी 8 सीतादेवी 9 मैनादेवी 10 विद्यादेवी 11 विमला 12 सन्तोष देवी पुत्रीया फकीराराम जाति माली निवासी चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 71/71 की कुल 5.8190 हैक में से 172-1/2 हिस्सा , व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 342/333 के कुल 10.5850 हैक में से 313-7/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुनी वल्द दाना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चुनी वल्द दाना के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चुनी वल्द दाना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7, ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी

परोक्ष
नोहर


पूर्व में वादी के दादा चुनी वल्द नन्दा के नाम से दर्ज है वादी के दादा चुनी वल्द नन्दा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से बाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 71/71 की कुल 5.8190 हैक् में से 172-1/2 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 122-1/2 हिस्सा के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी प्रकार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 342/333 की कुल 10.5850 हैक् भूमि में से कुल 313-7/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 263-7/8 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद सैनी पुत्र फकीराराम जाति माली साकिन चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 फकीराराम पुत्र चुनीराम जाति माली निवासी चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 भवरलाल 3 महेन्द्र 4 बिरजलाल 5 हरिराम 6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण फकीराराम जाति माली निवासी चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 लक्ष्मीदेवी 8 सीतादेवी 9 मैनादेवी 10 विद्यादेवी 11 विमला 12 सन्तोष देवी पुत्रीया फकीराराम जाति माली निवासी चक 4 बीकेके तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 706 सन 2019 निर्णय दिनांक- 29/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 71/71 की कुल 5.8190हैक में से 172-1/2 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 122-1/2 हिस्सा के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी प्रकार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 342/333 की कुल 10.5850हैक भूमि में से कुल 313-7/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 263-7/8 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)